

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 02/2025-केन्द्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 16 जनवरी, 2025

सा.का.नि. (अ)- केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 674(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में,-

(क) अनुसूची में, क्रम संख्या 105 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

"105क.	30	जीन थेरेपी";
--------	----	--------------

(ख) खंड (ii) और उसके परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(ii) 'प्री-पैकेज्ड और लेबल' वाक्यांश का अर्थ सभी वस्तुएं जो खुदरा विक्री के लिए हैं और जिनमें 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक नहीं है, जो विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 2 के उपधारा(1) में परिभाषित की गयी परिभाषा के आधार से प्री-पैकेज्ड हो किया गया है, जहां विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत किये गए पैकेज जिसमें वस्तु जो पहले से पैक किया गया है या उसपर सुरक्षित रूप से चिपके हुए लेबल का घोषणापत्र वहन करना आवश्यक है।".

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फाइल संख्या 190354/2/2025-टीआरयू]

(अग्रीता टाइटस)

उप सचिव

नोट : मूल अधिसूचना संख्या 2/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 674(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i), में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 3/2024-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 12 जुलाई, 2024, के तहत संशोधन किया गया था जिसे सा.का.नि. 399(अ), दिनांक 12 जुलाई, 2024, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।